न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या :– 03/2020

1. ठाकुर सुरेन्द्र सिंह शेखावत, पुत्र स्व. ठाकुर लादू सिंह शेखावत, उम्र 63 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम अलसीसर जिला झुन्झुनूं, हाल निवासी 48/ए रामनगर, शिव पथ,सोडाला, श्यामनगर, जयपुर राज0।
2. ठाकुर नगेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र स्व. ठाकुर राजेन्द्र सिंह शेखावत, उम्र 38 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम अलसीसर जिला झुन्झुनूं, हाल निवासी 48/ए रामनगर, शिव पथ,सोडाला, श्यामनगर, जयपुर राज0।
3. ठाकुर हेमेन्द्र सिंह शेखावत,पुत्र स्व. ठाकुर राजेन्द्र सिंह शेखावत, उम्र 34 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम अलसीसर जिला झुन्झुनूं, हाल निवासी 183 बरकत नगर,टोंक फाटक जयपुर।

– निगरानीकार

–बनाम–

1. ठाकुर गज सिंह शेखावत पुत्र स्व. अर्जुन सिंह शेखावत, उम्र 62 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम अलसीसर जिला झुन्झुनूं, हाल निवासी अलसीसर हवेली,संसार चन्द्र रोड, जयपुर राज0।
2. सरपंच ग्राम पंचायत अलसीसर, पंचायत समिति अलसीसर जिला झुंझुनू।
3. विकास अधिकार पंचासत समिति अलसीसर, जिला झुंझुनू

– गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0पंचायती राज अधिनियम 1994, राज0 पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 140 दिनांकित निल, मिसल संख्या–निल, गज सिंह शेखावत पुत्र श्री अर्जुन सिंह शेखावत के हक में पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा जारी करने के विरूद्ध

उपस्थितिः–

1 .श्री आलोक शर्मा , एडवोकेट ———— ———— ————निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री फारूख खान,एडवोकेट————————————————गैर निगरानीकार की ओर से।

आदेश दिनांक 24.03.2021

अति. जिला कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.24 19:25:19 IST
Reason: SelfAttested

उक्त निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 140 दिनांकित निल, मिसल संख्या–निल, गज सिंह शेखावत पुत्र श्री अर्जुन सिंह शेखावत के हक में पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा जारी करने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि–ग्राम पंचायत अलसीसर में पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा बिना मिसल नंबर के पंचायत की कार्यवाही में प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 20.2. 2003 को जारी करते हुये पट्टा देने का निवेदन किया जिसके द्वारा पटटा संख्या 140 मिसल संख्या निल के द्वारा पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 गज सिंह शेखावत के हक में संकल्प संख्या 7 दिनांक 20.04.2003 के द्वारा धारा 157 पंचायत नियम के तहत 11600 वर्गगज का जारी कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण/निगरानीकार द्वारा यह रिविजन याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पट्ट विलेख ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा जारी किया गया है, वह पूर्णतया विधि के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत एक्ट के अनुसार पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन आने पर नियमानुसार रसीद दी जाकर मिसल तैयार की जाती है। परन्तु उक्त पत्रावली में ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा ना तो कोई रसीद ही जारी की गई और ना ही मिसल संख्या डाला गया। बिना मिसल नंबर व बिना तारीख के पट्टा जारी किया गया, इसलिए भी उक्त पट्टा विलेख निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियमों की अनदेखी करके उक्त पट्टा जारी किया गया है।

निगरानीकार ने आगे कथन किया है कि पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा प्राप्त करने के लिए प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से अनुसार निवेदन किया था। प्रार्थीगण के हक में संकल्प संख्या 9 दिनांक 20.4.2003 के द्वारा पटटा संख्या 146 दिनांक 20. 12.2002 को जारी किया गया व अप्रार्थी संख्या 1 के हक में संकल्प संख्या 7 दिनांक 20.4. 2003 के द्वारा 11600 वर्गगज का पटटा जारी किया गया। उक्त पटटे में प्रार्थीगण की सम्पत्ति भी शामिल करते हुये दर्शा दी गयी, जबकि प्रार्थीगण की सम्पत्ति का पट्टा ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या–2 के द्वारा जारी करने का कोई अधिक[illegible] नहीं था। प्रार्थीगण का पट्टा उप पंजीयक के यहां पंजीकृत है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का [illegible] वर्ष 2003 में जारी किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.24 19:25:19 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

है जो आज दिवस तक उप पंजीयक के यहां रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया गया है, ना ही नवीनीकृत करवाया है, इसलिए ऐसी स्थिति में भी अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी उक्त पट्टा निरस्तनीय है। ग्राम अलसीसर गढ में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 निवास कर रहे हैं, उनका अपने अपने हिस्से पर कब्जा है। ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा उक्त कब्जे का बिना भौतिक निरीक्षण किये अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जो पट्टा संख्या 140 जारी किया गया है, वह न्याय हित में अपास्तनीय है। प्रार्थीगण ने पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र मय ब्ल्यू प्रिंट ग्राम पंचायत अलसीसर में प्रस्तुत किया जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत को पूर्व से ही थी एवं दोनों ही पत्रावलियां साथ साथ चल रही थी, परन्तु फिर भी ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे की सम्पति का भी पट्टा जारी कर दिया गया जो कि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

निगरानीकार ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पट्टा जारी किये जाने से पूर्व आपत्तियां ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत की गई, परन्तु उन आपत्तियों का निस्तारण ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा पत्रावली की कार्यवाही विवरण में नहीं लिया गया एवं मनमाने ढंग से बिना आपत्तियों के निस्तारण करते हुये बाला बाला पटटा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी कर दिया गया। ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा मौका निरीक्षण करने हेतु दिनांक 17.4.2003 को पंचों को मौके पर भेजा उनके द्वारा मौके का कोई नक्शा नहीं बनाया गया एवं मनमाने ढंग से ब्ल्यू प्रिंट जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसी के अनुसार पट्टा जारी करने का उल्लेख कर दिया। ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा जो नोटिस दिनांक 20.2.2003 को जारी किया गया है उसमें पश्चिम दिशा में ठाकुर नरेन्द्र सिंह, नगेन्द्र सिंह, हेमेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह की जमीन व मकानात बताये गये हैं। उक्त तथ्य को नजर अंदाज करते हुये सम्पूर्ण गढ का नक्शा व आबादी भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से अपास्तनीय है।

निगरानीकार का कथन है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अनुसार पुराने मकानों के नियमितिकरण का पट्टा पंचायत द्वारा कब्जे के आधार पर है दिया जा सकता है। उक्त तथ्य को ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा नजरअंदाज कर पट्टा जारी किया गया है तथा नियम 1 (1) के अनुसार [illegible] का आबादी भूमि का ही पट्टा जारी कर सकती है उससे [illegible]। ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के [illegible] नियमों की कतई

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.24 19:25:19 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

पालना नहीं की गई। ग्राम पंचायत द्वारा ना तो प्रार्थीगण को नोटिस जारी कर सुना गया। बिना प्रार्थीगण को सुने उनके हिस्से की जमीन का पट्टा जारी कर दिया गया। पुराने गृहों के साथ आबादी का पट्टा जारी ही नहीं किया जा सकता जो कि ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा जारी कर दिया है जो अपास्तनीय है।

अंत में निगरानी प्रस्तुतकर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा नियम 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 पट्टा संख्या 140 मिसल संख्या निल, तारीख निल गजसिंह शेखावत पुत्र श्री अर्जुन सिंह शेखावत के हक में संकल्प संख्या 7 दिनांक 20.4.2003 को अपास्त फरमाया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए लिखित बहस प्रस्तुत की तथा बताया कि:– ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 140 दिनांकित निल, मिसल संख्या–निल, गज सिंह शेखावत पुत्र श्री अर्जुन सिंह शेखावत के हक में पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा जारी करने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी गज सिंह के हक में जो पट्टा विलेख ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा जारी किया गया वह राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के विपरित जाकर जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत अधिनियम के अनुसार पट्टा हेतु आवेदन प्राप्त करना, आवेदन के साथ नियमानुसार आवेदन की शुल्क राशि वसूल कर मिसल तैयार की जानी चाहिए जो कि नहीं की गई। ना ही मिसल नंबर डाले गये, ना ही मिसल से संबंधित कोई कार्यवाही की गई अर्थात बिना शुल्क, बिना आवेदन के बिना मिसल तैयार किये उक्ट पट्टा विलेख जारी किया गया जो कि पंचायत नियमों की अनदेखी करते हुये जारी किया गया, इसलिए उक्त पट्टा अपास्त किया जाकर निरस्तनीय है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.24 19:25:19 IST
Reason: SelfAttested

पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा प्राप्त करने के लिए प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार आवेदन किया था। प्रार्थीगण के हक में संकल्प संख्या 9 दिनांक 20.4.2003 के द्वारा पटटा संख्या 146 कुल क्षेत्रफल 1663.84 वर्गगज दिनांक 20.12.2002 को जारी किया गया, जिसका दिनांक 20.9.2019 को प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत अलसीसर से नवीनीकरण करवाया तथा उक्त नवीनीकरण के पश्चात दिनांक 23.9.2019 को पट्टा उप पंजीयक मलसीसर के यहां पुस्तक सं0 1 जिल्द सं. 291 पृष्ठ सं0 192 क्रम सं0 201903455101462 पर पंजीबद्ध करवाया गया है। प्रार्थीगण का उक्त पट्टा विपक्षी गज सिंह द्वारा ग्राम पंचायत से स्वयं प्राप्त कर प्रार्थीगण को सुपुर्द किया गया है। उक्त तथ्य का अंकन विपक्षी द्वारा प्राथीगण के पट्टे पर किये गये हस्ताक्षर से प्रमाणित है, किंतु विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की जमीन हड़पने की बदनियति से ग्राम पंचायत अलसीसर से बिना किसी आवेदन के अप्रार्थी के हक में पंचायत के संकल्प संख्या 7 दिनांक 20.04.2003 के द्वारा 11600 वर्गगज का पट्टा अपने पक्ष में जारी करवा लिया, जिसमें प्रार्थीगण के हक हिस्से का क्षेत्रफल 1663.84 वर्गगज अप्रार्थी गज सिंह के पट्टे में शामिल दर्शाकर कुल क्षेत्रफल 11600 वर्गगज का पट्टा जारी कर दिया । उक्त पट्टे में प्रार्थीगण की शामिल भूमि व मकानात थे, उसका भी पट्टा अप्रार्थी गज सिंह शेखावत के नाम से जारी कर दिया गया, जबकि आवेदन प्रार्थीगण द्वारा जारी किया गया था। बिना किसी नियम कायदे के प्रार्थीगण की सम्पति का पट्टा भी अप्रार्थी गज सिंह शेखावत के नाम से जारी कर दिया गया जो कि पंचायती राज नियम 1996 के विपरित जाकर जारी किया गया, इसलिये उक्त पट्टा विलेख अपास्तनीय है।

विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीगण जब अपनी कब्जेशुदा व पट्टेशुदा भूमि पर गये तो विपक्षी ने एक फर्जी पारिवारिक समझौता का हवाला दिया व कथन किया कि आपके द्वारा उक्त भूखण्ड में केवल 10 कमरे लेकर सम्पूर्ण भूमि का कब्जा मेरे पक्ष में छोड़ दिया है, इसलिये आपका उक्त भूमि में 10 कमरों के अलावा कोई हक हिस्सा नहीं है तथा गाली गलौच व मारपीट कर प्रार्थीगण को वहां से निकाल दिया जिसके संबंध में प्रार्थीगण ने विपक्षी के विरूद्ध पुलिस थाना मलसीसर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है जबकि प्रश्नगत पारिवारिक समझौता प्रार्थीगण के खाली कागजात पर हस्ताक्षर कर फर्जी तरीके से तैयार किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.24 19:25:19 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का कथन है कि अप्रार्थी के हक में जारी पट्टे को न तो नवीनीकरण कराया गया और ना ही रजिस्टर्ड करवाया गया और ना ही ग्राम पंचायत द्वारा कब्जे का भौतिक निरीक्षण करवाया गया। बिना भौतिक निरीक्षण के पट्टा जारी कर दिया गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी द्वारा जो ब्लू प्रिंट मानचित्र पंचायत में पेश किये गये, उनमें दोनों का कब्जा आधा आधा बतलाया गया है। उक्त तथ्य को नजर अंदाज करते हुये प्रार्थीगण के कब्जे व हिस्से की सम्पति का भी अप्रार्थी के हक में पट्टा जारी कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी पट्टे से पूर्व ग्रामवासियों द्वारा आपति पेश की गयी, जिनको बिना निस्तारण के बिना रिकार्ड पर लिये पट्टा विलेख जारी कर दिया गया। ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा मौका निरीक्षण करने हेतु 17.4.2003 को पंचों को मौके पर भेजा गया। पंचों द्वारा मौके का भौतिक सत्यापन कर कोई नक्शा नहीं बनाया गया एवं मात्र अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये ब्लू प्रिंट मानचित्र को आधार मानकर उसी आधार पर पट्टा जारी करने की अनुशंषा कर दी जो कि पूर्णतया अवैध है।

ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा जो नोटिस दिनांक 20.2.2003 को जारी किया गया है उसमें पश्चिम दिशा में ठाकुर नरेन्द्र सिंह, नगेन्द्र सिंह, हेमेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह की जमीन व मकानात बताये गये हैं। उक्त तथ्य को नजर अंदाज करते हुये सम्पूर्ण गढ का नक्शा व आबादी भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से अपास्तनीय है।

निगरानीकार का कथन है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अनुसार पुराने मकानों के नियमितिकरण का पट्टा पंचायत द्वारा कब्जे के आधार पर है दिया जा सकता है। उक्त तथ्य को ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा नजर अंदाज कर पट्टा जारी किया गया है तथा क्लाज 1 के अनुसार ग्राम पंचायत मात्र 300 वर्गगज का आबादी भूमि का ही पट्टा जारी कर सकती है उससे अधिक का पट्टा जारी नहीं कर सकती। परन्तु उक्त अधिनियम की अनदेखी कर ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में उक्त पट्टा जारी कर दिया गया। अप्रार्थी ने जानते बुझते हुयेकि उक्त सम्पति संयुक्त परिवार की है, कपट से पट्टा प्राप्त किया तथा पंचायत ने प्रार्थीगण के हिस्से का पट्टा उसके हक में जारी कर दिया। एक ही सम्पति के दो पट्टे नहीं हो सकते। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी की गई है इसलिए पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.24 19:25:19 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

अंत में लिखित बहस प्रस्तुतकर निवेदन किया गया कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जावे।

दौराने बहस वकील गैर निगरानीकार ने बताया कि निगरानी चलने योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार ने अलसीसर महल बाबत पारिवारिक समझौता एवं विभाजन पत्र की फोटो प्रति पेश की तथा अलसीसर महल को लिखावट के अनुसार हक हिस्सा होना बताया गया । उनके द्वारा कथन किया गया कि पट्‌टा संख्या 140 दिनांक 20.4.2003 जो गजसिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह के नाम से जारी किया गया है व दूसरा पट्‌टा संकल्प संख्या 9 के द्वारा पटटा संख्या 146 पट्‌टे के लिए गैर निगरानीकार द्वारा ना तो आवेदन किया गया और ना ही आज दिनांक तक ग्राम पंचायत से पट्‌टा प्राप्त किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में यह निगरानी ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा श्री गजसिंह शेखावत पुत्र श्री अर्जुन सिंह जाति राजपूत वार्ड नंबर 2 अलसीसर के नाम से जारी पट्‌टा संख्या 140 कुल 11600 वर्गगज के विरूद्ध प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का कथन है कि ग्राम पंचायत अलसीसर में उनके द्वारा मलसीसर महल में अपने हक हिस्से का पट्‌टा बनाने के लिए आवेदन किया गया था, और आवेदन पत्र के साथ अपने हिस्से को दर्शाते हुये ब्लू प्रिंट प्रस्तुत किया था जिसका ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा उनके हक में संकल्प संख्या 9 दिनांक 20.4.2003 के द्वारा पटटा संख्या 146 कुल क्षेत्रफल 1663.84 वर्गगज दिनांक 20.12.2002 को जारी किया गया। जो पट्‌टा विपक्षी गज सिंह द्वारा ग्राम पंचायत से स्वयं प्राप्त कर प्रार्थीगण को सुपुर्द किया गया है। उक्त तथ्य का अंकन विपक्षी द्वारा प्राथीगण के पट्‌टे पर किये गये हस्ताक्षर से प्रमाणित है, किंतु विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की जमीन हड़पने की बदनियति से ग्राम पंचायत अलसीसर से बिना किसी आवेदन के अप्रार्थी के हक में पंचायत के संकल्प संख्या 7 दिनांक 20.04.2003 के द्वारा 11600 वर्गगज का पट्‌टा अपने पक्ष में जारी करवा लिया, जिसमें प्रार्थीगण के हक हिस्से का क्षेत्रफल 1663.84 वर्गगज अप्रार्थी गज सिंह के पट्‌टे में शामिल दर्शाकर कुल क्षेत्रफल 11600 वर्गगज का पट्‌टा जारी कर दिया । उक्त पट्‌टे में प्रार्थीगण की शामिल भूमि व मकानात थे, उसका भी पट्‌टा अप्रार्थी गज सिंह शेखावत के [illegible] जारी कर दिया गया, जबकि आवेदन प्रार्थीगण द्वारा जारी किया गया [illegible] बिना किसी [illegible] के प्रार्थीगण की सम्पति का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.24 19:25:19 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

पट्टा भी अप्रार्थी गज सिंह शेखावत के नाम से जारी कर दिया गया जो कि पंचायती राज नियम 1996 के विपरित जाकर जारी किया गया, इसलिये उक्त पट्टा विलेख अपास्तनीय है।

मेरे द्वारा ग्राम पंचायत अलसीसर की पट्टा संख्या 140 की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। ग्राम पंचायत अलसीसर की पट्टा पत्रावली में पट्टा संख्या 140 की मूल प्रति लगी हुई है। पट्टा संख्या 140 किस तारीख को जारी किया गया कोई अंकन नहीं है। पट्टा संख्या 140 श्री गजसिंह शेखावत के नाम से जारी किया गया है। ग्राम पंचायत अलसीसर के समक्ष श्री गजसिंह शेखावत द्वारा दिनांक 03.01.2003 को पुराने गढ़ व जमीन का पट्टा बनाने बाबत जो आवेदन किया गया है, उसमें अंकित किया गया है कि– वार्ड नंबर 2 व 3 के कोने पर हमारा जागीरदारी का पुराना गढ व मकानात व उसके आसपास हमारी जमीन पड़ी है, कुछ जमीन गढ के पूर्व दिशा में व कुछ खाली जमीन गढ के पिछवाड़े में पश्चिम में पड़ी है।समस्त मकान भूमि का नक्शा प्रार्थना पत्र के संलग्न है। अतः नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त भूमि व मकानों का पट्टा जारी करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र पर उनके द्वारा गढ़ की चारों दिशाओं का अंकन किया गया है जिसमें उत्तर में ठाकुर सुरजन सिंह, नारायण सिंह, हरीसिंह के मकान, दक्षिण में नरेन्द्रसिंह, नगेन्द्रसिंह, सुरेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह के मकानात व जमीन, पूर्व में रास्ता आम बाजार को तथा पश्चिम में निजी खाली जमीन व सुरजभान सिंह, भंवर सिंह के मकान दर्शाये गये हैं।

ग्राम पंचायत अलसीसर की आज्ञाओं की सूची में दिनांक 20.2.2003 में प्रस्ताव संख्या–6 आज दिनांक 20.2.2003 को ग्राम पंचायत की बैठक के प्र0सं0 6 के तहत ठाकुर गजसिंह व ठा. नरेन्द्र सिंह, ठा. राजेन्द्र सिंह व सुरेन्द्र सिंह ने अलसीसर में अपने पुराने गढ का पट्टा बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। अंकित किया गया है, लेकिन दिनांक 20.2.2003 की आदेशिका पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं हैं। उसके बाद सीधे दिनांक 20.4.2003 की आदेशिका में अंकित किया है कि–

प्र0सं0 7 आज दिनांक 20.4.2003 की ग्राम पंचायत बैठक में प्र0सं07 के अनुसार सर्वसम्मति श्री गजसिंह पुत्र अर्जुन [illegible] करने का सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। अंत में [illegible] पंचायत मलसीसर द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.24 19:25:19 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं

ग्राम पंचायत अलसीसर के कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन किया गया जिसमें दिनांक 20.02.203 की बैठक में प्रस्ताव संख्या–6 द्वारा ठाकुर गजसिंह जी व ठाकुर नरेन्द्र सिंह व श्री राजेन्द्र सिंह के पुत्रों व ठाकुर सुरेन्द्र सिंह का अलसीसर के पुराने गढ का अपने अपने हक के अनुसार गढ़ व व गढ की जमीन का पट्टा बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने एवं मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों का कमिशन गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है। उसके बाद ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.4.2003 में प्रस्ताव संख्या–7 द्वारा पट्टा संख्या 140 जारी किया गया है। पट्टा पत्रावली में ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा प्रारूप 22 में आक्षेप आमंत्रित किये गये हैं। इस नोटिस में ठाकुर गजसिंह के हिस्से के गढ के मकानात व गढ़ के चारों दिशाओं का वर्णन किया गया है। आपत्ति नोटिस ग्राम पंचायत सदन में बिना प्रस्ताव के ही जारी किये गये है। पट्टा संख्या–140 व आपति नोटिस, व पट्टा चाहने बाबत श्री गजसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चारों दिशाओं में विरोधाभाष है। श्री गज सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दक्षिण दिशा में ठाकुर श्री नरेन्द्र सिंह जी, श्री नगेन्द्र सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह व राजेन्द्र सिंह के मकानात व जमीन अंकित की गई है और पश्चिम दिशा में निजी खाली जमीन व सुरजभान सिंह तथा भंवर सिंह के मकान अंकित है। जब कि आपति नोटिस में पश्चिम दिशा में खाली जमीन व सुरजभान सिंह तथा भंवर सिंह के बजाय ठाकुर श्री नरेन्द्र सिंह,श्री नगेन्द्र सिंह,श्रीहेमन्त सिंह व श्री सुरेन्द्र सिंह व सफेद जमीन अंकित किया गया है और पट्टा संख्या 140 जारी करते समय प्रार्थना पत्र व आपति नोटिस से हटकर दक्षिण दिशा में रास्ता आम राजकीय अस्पताल से बाजार को दिखाया गया है। ठाकुर श्री नरेन्द्र सिंह जी, श्री नगेन्द्र सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह व राजेन्द्र सिंह के मकानात व जमीन अंकित नहीं किये गये और पश्चिम दिशा में भी प्रार्थना पत्र से हटकर रास्ता आम व धींवा सिंह राणा कंवर उतरी कोने पर श्री छतूसिंह जी का घर अंकित किया गया है।

पट्टा संख्या 140 की पत्रावली में मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर कहीं भी पट्टा स्थल का नाप व दिशाओं के बारे में कोई अंकन नहीं किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट एक प्रिंटेड फोरमेंट पर पंचगण के हस्ताक्षर करवाकर इतिश्री की गई है।

जहां तक पट्टा संख्या 140 की वैद्यता का प्रश्न है विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत अलसीसर को दिनांक [illegible].202[illegible] को पट्टाधारी श्री गजसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति पेश की है जिसमें स[illegible] पट्टाधारी श्री गजसिंह द्वारा पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.24 19:25:19 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

संख्या 140 व 146 को निरस्त कर पारिवारिक समझौते के अनुसार समझौते के अनुसार नये पट्टे जारी करने का निवेदन किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित है कि ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा श्री गजसिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह शेखावत के पक्ष जारी पट्टा संख्या 140 विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर जारी किया गया है। विवादित पट्टे में निगरानीकार का हक हिस्सा होना स्वयं पट्टाधारी श्री गजसिंह द्वारा ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र दिनांक 21.8.2020 प्रस्तुत कर स्वीकार किया गया है जिससे स्पष्ट है कि निरीक्षण कमेटी द्वारा विवादित स्थल का बिना मौका देखे ही रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर जारी किया गया है जो विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा श्री गजसिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी वार्ड नंबर 2 अलसीसर के नाम से जारी पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा संख्या 140 ग्राम पंचायत अलसीसर के प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 20.4.2003 को निरस्त किया जाता है। गैर निगरानीकार श्री गजसिंह अपने हक हिस्से का पट्टा पुनः ग्राम पंचायत में विधिवत आवेदन कर प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

मिसल ग्राम पंचायत अलसीसर आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

24.3.2021

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.3.2021

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.24 19:25:19 IST
Reason: SelfAttested